PUNE RESEARCH SCHOLAR ISSN 2455-314X
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY JOURNAL VOL 8, ISSUE 1

महिला अपराध के तत्व (कारक) में परिवार की भूमिका !

डॉ. छाया आर. सुचक
विजयनगर आर्टस कोलेज,
विजयनगर (साबरकांठा)
गुजरात भारत

अपराध का कारण प्रत्येक मामले में अलग-अलग व्यक्तियों तथा अलग-अलग स्थितियों में भिन्न होता है । आजजकल यह सामान्य धारणा है कि अपराध व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों के संयोग से होता है । व्यक्तिगत कारकों में शारीरिक अपंगता, व्यक्तित्व संधर्ष, भय, मानसिक अपसामान्यताएं व रोग प्रमुख माने गए है, जब कि दोषपूर्ण परिवार, विघाटित पड़ौस, मित्र समूह सम्पर्क, चलचित्र और अश्लील साहित्य पर्यावरणीय कारको में मुख्य माने गए है ।

यह कहा जाता है कि व्यक्ति आनुवंशिकता के माध्यम से अपने माता-पिता से बहुत से गुण अर्जित करता है और इनमें से कुछ गुण अपारधिक क्रियाकरलापों के कारण हो जाते है । यह भी कहा जाता है कि जीवाणुओं द्वारा लाए जाने वाले गुण सामाजिक पर्यावरण द्वारा ढाले जाते है और सामाजजिक अनुभवों द्वारा सुधार ेजाते है । इस प्रकार यह स्थापित तथ्य है कि आनुवंशिकता मनुष्य को सामर्थ्य प्रदान करती है और उसके विकास और व्यवहार दोनों पर बन्धन भी लगाती है । मानव व्यक्तित्व मानव जीवन में अनेक कारको (व्यक्तिगत और पर्यावरण सम्बन्धी दोनो ही) एवं आनुवंशिकता की अन्तक्रिया से उत्पन्न होता है । व्यक्तित्व जो कि मनुष्य के व्यवहार को निश्चित करता है भावनाओं, विचारो, द्रष्टिकोणो, विश्वासों, मूल्यों, दक्षता (Skills), शैली, बुद्धि इच्छा शक्ति (Will-power), आदतों आदि से मिलकर बनता है ।

प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अनेक स्थितियों में कुण्ठा का अनुभव करता है । इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में इच्छाओं की पूर्ति अनेक रुकावटों या कुण्ठाओं के कारण नही कर पाता है । लेकिन सामान्यतः कुण्ठित व्यक्ति अपनी अपूर्ण इच्छाओं का दमन या उदात्तीकरण (Sublimation) या स्थानापन्न (Substitution) या स्वयं को भाग्य के भरोसे छोड़ देते है और इच्छा अवरोद के कारण असन्तोष या बेचैनी का अनुभव करने लगते है । कुछ व्यक्ति संवेगात्मक रुप से परेशानी अनुभव करते है और इस प्रक्रिया में इतने गम्भीरता से लिप्त हो जाते हैं कि वे विचलित क्रियाकलापों को अपना लेते हैं ।

जैसे-जैसे व्यक्ति आयु मे बड़ा होता जाता है उसकी नवीन आवश्यकताएं विकसित होती जाती है और इनकी पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भता भी बढ़ती जाती है । इन आवश्यकताओं की सन्तुष्टि के लिए सामाजिक सम्बन्धों को बनाए रखने में असफलता व्यक्ति में कुण्ठा और विघटन पैदा करती है और व्यक्तित्व संघर्ष पैदा करती है । सामाजिक सम्बन्धों के विकास में असफलता या तो गरीबी, जाति बन्धनों, शिक्षा की कमी जैसे परिस्थितिजन्य कारणों से होती है या फिर व्यक्तिगत रुकावटों के कारणो से, जैसे शारीरिक कमियां व मन्द बुद्धि जैसे कारणो से । व्यक्तित्व संघर्ष दो इच्छाओं के बीच संघर्षो का भी प्रतिफल होता है, जैसे व्यक्ति मां का पक्ष ले या पत्नी का एक का समर्थन दूसरे को अप्रसन्न करता है और दूसरा पक्ष और अधिक दोष ढूढ़ने वाला (विवादी/झगडालू) हो सकता है । ऐसे व्यवहार से बचने के लिए वह व्यक्ति पत्नी या माँ किसी भी एक के प्रति आक्रामक हो सकता है । यहाँ यह प्रहार विचलित व्यवहार है जो कि व्यक्तित्व संघर्ष के कारण पैदा हुआ । इसी प्रकार से संघर्ष दो विरोधी इच्छाओं, धन प्राप्त करना और देश के सैन्य गुप्त रहस्यों को शत्रु को देना, या घूंस देना और पुलिस उप निरीक्षक की नौकरी पाने के कारण भी हो सकता है । कुछ लोग इन संघर्षो का सामना दूसरों की सहायता से या स्वयं के संसाधनों से कर लेते हैं, लेकिन कुछ मामलों में संघर्ष बना रहता है और व्यक्ति उनसे विभिन्न तरीकों से, जैसे उदात्तीकरण (Sublimation), दमन (repression), प्रतिगमन (regression), युक्तीकरण (rationalisation), दिवान्स्वप्न (day-dreaming), क्षतिपूर्ति और प्रक्षेपण (projection) द्वारा संघर्ष करता है । कभी कभी व्यक्ति इस संघर्ष का समाधान दूसरों पर दोषारोपण कर के या भाग्य पर आरोप लगा कर या स्वयं को छोटा बना कर करता है । फिर

भी कुछ व्यक्ति इन प्रयत्नों में असफल हो जाते हैं और व्यक्तित्व संघर्ष के कारण अपराध करते है । यदि व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार न अपनाए तब यह संघर्ष उसके व्यक्तित्व प रहावी हो जाता है और उनको मानसिक असंतुलन की स्थिति में धकेल सकता है । उदाहरण के लिए, दिवा स्वप्न मनुष्य को जीवन के यथार्थ से दूर ले जा सकते हैं और उसमें गति विभ्रम (hallucinations) पैदा हो सकता है और वह एक मनोरोगी (psychotic) हो सकता है । इसी प्रकार निरन्तर दमन (repression) व्यक्ति को मनस्तापी (neurotic) बना देता है । यह दर्शाता है कि व्यक्ति संघर्ष से निपटने के लिए अपनाए गए उपायों से कानून का पालन करने वाला व्यवहार अपनाया जा सकता है या फिर व्यक्ति कानून से संघर्ष लेने को उद्यत हो सकता है . एक मामले में अपनी असफलता के लिए दूसरों पर आरोप लगाने की प्रवृत्ति उस व्यक्ति से हत्या करा सकती है जिसको वह उस व्यवहार के लिए उत्तरदायी समझता है, दूसरे मामले में सामान्य सामाजिक सम्बन्धों के द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति में असफलता उसे चोर बनने के लिए बाध्य कर सकती है, जबकि तीसरे मामले में युक्तीकरण (retionalisation) एक महिला को वैश्या बनने या यौन अपराध करने का अवसर प्रदान कर सकता है । व्यक्तित्व संघर्ष व्यक्ति को अपराध या बाल अपराध की ओर ले जाता है; यह तथ्य यह नहीं दर्शाता कि व्यक्ति मानसिक रोग से बीमार हो गया है । यह भी कहा जा सकता है कि जब व्यक्तित्व संघर्ष आक्रमकता (aggressiveness), शर्मीलापन (shyness), असहमत होना (disagreeableness), चेतना (conscientiousness), या विद्रोही व्यवहार विकसित करते हैं तो ये सब अपराधी व्यवहार के माध्यम से स्वयं को प्रदर्शित नहीं करते हैं । यह भी सम्भव है कि कभी-कभी अपराधी व्यवहार भी व्यक्तित्व संघर्ष की ओर ले जा सकता है ।

इस प्रकार यहका जा सकता है कि व्यक्तित्व के गुण ही मात्र अपराध का कारण नहीं हैं बल्कि कारण के विश्लेषण में यह भी देखा जाना चाहिए कि अन्य कारकों के साथ उनका कार्यात्मक (functional) सम्बन्ध क्या है ।

मानसिक अपसामान्यताएँ (Mental Abnormalities):

मानसिक अपसामान्यताओं में (1) मानसिक हीनता और (2) मानसिक रोग सम्मिलित है ।

मानसिक हीनता (Mental Deficiency):

मानसिक हीनता बुद्धि की उपसामान्यता (subnormal) अर्थात् मानसिक विकास की कमी या बुद्धि का अल्प स्तर (अर्थात 75 से कम बुद्धिलब्धि) दर्शाती है । 75 से अधिक बुद्धि-लब्धि वाला व्यक्ति मानसिक रुप से सामान्य व्यक्ति समझा जाता है जब कि 50 से 70 बुद्धिलब्धि वाला व्यक्ति मूढ़बुद्धि व्यक्ति (moron) कहलाता है; 20 से 50 बुद्धिलब्धि वाला हीन-बुद्धि व्यक्ति (imbecile) और 20 से कम वाला जड़बुद्धि व्यक्ति (idiot) कहलाता है । अल्प बुद्धिलब्धि (I.Q.) वाला व्यक्ति मानसकि रुप से हीन कहा जाता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि का विकास अपूर्ण हो । सामान्य सामाजिक सम्बन्धों का विकास और व्यक्ति द्वारा भूमिका निर्वाह (role performance) व्यक्ति की अपने पर्यावरण को अपनाने की योग्यता और बिना बाह्य समर्थन के अपने अस्तित्व को बनाए रखने पर निर्भर करता है । यह तथ्य फिर व्यक्ति की बुद्धिलब्धि पर निर्भर करता है । जड़बुद्धि (idiouts) (तीन वर्षीय बालक की मानसिक आयु के बराबर) और हीन बुद्धि व्यक्ति (3 से 7 वर्ष की मानसिक आयु वाले बच्चे) अपने काम स्वयं करने में असमर्थ होते हैं, लेकिन वे भड़काए जाने (provocation) पर या कुण्ठावंश होने पर शारीरिक रुप से बड़े शक्तिशाली और खतरनाक सिद्ध होते हैं । मूढ़बुद्धि व्यक्ति (morons) (7-12 वर्ष के बच्चे की मानसिक आयु वाले) बहुधा सामान्य दिखाई देते हैं फिर भी उन्हें देखभाल की जरूरत होती है । उचित देखभाल व नियंत्रण के अभाव में मंदबुद्धि व्यक्ति चोरी, शराबखोरी, यौन अपराधों आदि जैसे अपराधों में लिप्त हो जाते हैं । इस प्रकार के असामाजिक व्यवहार के तरीकों में उनकी लिप्तता इस तथ्य के कारण होती है कि वे स्वंय उलझन में होते हैं, संवेगात्मक रुप से अस्थिर व दूसरों के द्वारा आसानी से शोषित किए जाने वाले होते हैं । लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि सभी मानसिक रुप से हीन व्यक्ति अपराध में संलग्न होते हैं । मैन्युअल शुलमन (Manuell Shulman, Journal of Criminal Law and Criminology, March-April 1951:763-781) का प्रमाण यह संकेत करता है कि बहुत कम अनुपात में मानसिक रुप से हीन व्यक्ति अपराधी होते हैं तथा अपराधी और सामान्य जन समूह के बौद्धिक स्तर का वितरण लगभग एक सा होता है

। अतः शारीरिक दोषों और व्यक्तित्व संघर्ष के समान ही निम्न बुद्धि को भी अपराधी व्यवहार में एक कारक माना जाता है । हो सकात है कि एक विशेष मामले में यह एक प्रमुख कारक हो लेकिन अपराध में निम्न बुद्धि एक मात्र कारक कभी नहीं हो सकती ।

मानसिक रुग्णता (Mental Disease):

मानसिक रो या मानसिक अव्यवस्था को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: "मानसिक असुन्तलन की एक अवस्था या अस्तव्यस्तता (derangement) जो व्यक्ति को आत्म निर्भरता के लिए या स्वयं के लिए उत्तरदायित्व निर्वाह करने से रोकती है, या समुदाय की सुरक्षा के लिए उस व्यक्ति को एक परेशानी का कारण बना देती है ।" मानसिक रुग्णता से तात्पर्य उस मस्तिष्क से है जिसका विकास सामान्य रुप से हुआ है - लगभग परिपक्वता की ओर-किन्तु अव्यवस्थित (disordered or deranged) हो गया है । मानसिक रोग पागलपन (insanity) से भिन्न है जो कि कानूनी भाषा का शब्द है । यह माना जाता है कि पागल व्यक्ति में अपराधी इरादा नहीं हो सकता है । मानसिक रोग या तो मनस्ताप (psychosis) या फिर न्यूरोसिस (neurosis) प्रकार का हो सकता है ।

मनस्ताप (Psychosis):

मनस्ताप और न्यूरोसिस के लक्षण एक दूसरे से गुणात्मक आधार पर नहीं, परन्तु मात्रात्मक (quantitative) आधार पर भिन्न है । एक मनस्तापी अपने मानसिक व्यवधान (breakdown) के कारण या तो पूर्ण रूप से या आंशिक रुप से वास्तविक जगत से सम्पर्क तोड़ लेता है । उसे चिकित्सीय देख-भाल या विशेष संस्थात्मक देख-भाल की आवश्यकता होती है । परन्तु वह अपनी अपसामान्यता निरन्तर रुप से अभिव्यक्त नहीं करता । कभी-कभी वह तर्कसंगत आधार पर भी कार्य करता है ।

न्यूरोसिस (Neurosis):

न्यूरोसिस एक मानसिक रोग है जो व्यक्ति को सामाजिक रुप से या व्यक्तिगत रुप से कम कुशल बना देता है लेकिन उस सीमा तक नहीं कि उसे किसी चिकित्सा संस्था में

रखा जाये । अधिकतर न्यूरोसिस व्यक्ति सामाजिक रुप से मान्य व्यवहार करते है लेकिन उनकी कुछ विवशताएं उन्हें अपराद की ओर ले जाती है, जैसे विवशतावश चोरी करना, आग लगाना या 'स्व' को प्रदर्शित करना । युवक का अव्यवस्थित व्यवहार या तो उसकी हीनता की भावना की क्षतिपूर्ति के लिए हो सकता है या डरपोकपन के कारण जो उसको दुखी कर सकता है । यह भी सम्भव है कि उसका अपराध करना दण्ड की इच्छा का परिणाम हो ।

मनोविकृत व्यक्तित्व (Psychopathic Personality):

कुछ मानसिक रोगी मनस्तापी या तंत्रिकातापी (neurotic) श्रेणी के नहीं होते बल्कि वे मनोविकृत व्यक्तित्व वाले होते है । इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कुछ असामान्य या मनोविकृत प्रवृत्ति वाले होते हैं, जैसे निर्दयी, अनुशासनहीन, ठीठ (defiant), प्रतिशोध की भावना वाला, अस्थिर (unstable) आदि । इन्हीं विशेषताओं के कारण ही उनमें आत्मबल और भावनाओं की कमी होती है । मनोविकृत प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के साथ व्यवहार करना वैसा ही है जैसा कि एक बच्चे के साथ जो कि कभी भी सहयोग नहीं देता, आपसदारी (reciprocity) नहीं रखता, सामाजिक नहीं होता या फिर जो ऐसे व्यक्ति की तरह होता है जो आत्म रक्षा के लिए एक ऐसे कवच का विकास कर लेता है जो उसे समाज के विरुद्ध खड़ा कर देता है ।

यह कहना कठिन है कि मानसिक विकृति वाले (अर्थात मनस्तापी, तंत्रिकातापी, मनोविकृत) कितने व्यक्ति अपराध करते हैं क्योंकि यह स्वीकार करना कठिन है कि सभी मनोरोगी व्यक्ति अपराधी क्रियाकलापों में लिप्त होते हैं । ब्रोमबर्ग और थाम्पसन (Bromberg and Thompson, 1937:70) ने कहा हैः "हमारे पास कुछ बन्दियों के अध्ययन के परिणाम है जो दर्शाते है कि बन्दियों के बहुत कम प्रतिशत (20%) स्पष्टतः मनस्तापी है और तंत्रिकातापी तथा मनोविकृत बन्धियों की संख्या भी अधिक नहीं हैं ।" शिल्डर (Schelder, 1940) ने भी पाया कि एक अध्ययन में दण्डयुक्त गम्भीर अपराधियों में से मुश्किल से 13% ही मनस्तापी, तंत्रिकातापी, मनोविकृत या मंद बुद्धि वाले थे । अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यद्यपि मानसिक रोग अपराध में एक कारक हो सकता है फिर भी वह आवश्यक रुप से अपराध का कारण नहीं हो सकता ।

पर्यावरणीय कारक (Environmental Factors):

अपराधियों के वैयक्तिक इतिहास का विश्लेषण पर्यावरणीय कारण जानने में सहायता करता है । लेकिन ये कारण वयस्क अपराधियों की अपेक्षा बाल अपराधियों के मामले में अधिक तत्परता से देखे जा सकते हैं । वयस्क जटिल स्थितियों, घटनाक्रमों और अनुभवों का सामना इस प्रकार करते हैं कि कारण जानने का स्पष्ट मार्ग अवरुद्ध हो जाता है । पर्यावरण के द्वारा नियमित किया गया जीवन का तरीका और क्रियाकलाप समाज में व्यक्ति की भूमिका निर्धारित करते हैं । जब व्यक्ति इस भूमिका में समायोजित नहीं हो पाता तब वह अपने जीवन की ऐसी शैली या वातावरण विकसित करता है जो कि उसको अपराधी जीवन के अवसर प्रदान करता है । अतः अपराध के कारणों को खोजते समय व्यवहार को व्यवस्थित करने वाली प्रक्रिया को देखना अधिक यथार्थ होगा ।

परिवार (Family):

सभी समाजशास्त्री इस मत के हैं कि व्यक्ति के जीवन में परिवार का गहरा प्रभाव होता है । यह व्यक्ति के न केवल आवश्यक और अनावश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है बल्कि यह सांस्कृतिक मूल्यों को भी व्यक्ति को प्रदान करता है जो व्यक्ति का सामाजीकरण करते है और जीवन के तरीकों की दक्षता प्रदान करते हैं । परन्तु पारिवारिक स्थितियाँ अलग-अलग व्यक्तियों के लिए भिन्न-भिन्न होती हैं । सभी व्यक्ति सामान्य परिवारों में नहीं रहते तथा सामाजीकरण के अन्तर्व्यक्तिगत सम्बन्धों का अनुभव नहीं करते । लोवेल कार (Lowell Carr, Delinquency Control, 1950 : 166-168) ने सामान्य परिवार के छः लक्षण बताए हैः (1) संरचनात्मक पूर्णता (structural compleeness) अर्थात परिवार मं माता और पिता दोनों की उपस्थिति; (2) आर्थिक सुरक्षा (economic secutiry) अर्थात पर्याप्त आर्थिक स्थिरता जिससे स्वास्थ्य, कार्य कुशलता व नोबल बनाए रखा जा सके; (3) सांस्कृतिक अनुवर्तन (cultural conformity) अर्थात एक सी भाषा बोलने वाले, एक सा भोजन करने वाले, एक से रिवाजों को मानने वाले और लगभग एक सी अभिरुचियों और द्रष्टिकोण रखने वाले माता-पिता व सन्तान; (4) नैतिक अनुरुपता (moral conformity) अर्थात समुदाय की लोक-रीतियों का अनुपालन; (5) शारीरिक और मनौवैज्ञानिक सामान्यता, अर्थात

कोई भी सदस्य मानसिक रुप से हीन, विशिष्ट या लम्बी अवधि से अपंग न हो; (6) कार्यात्मक पर्याप्तता (functional adequacy) अर्थात सदस्यों में मधुर सम्बन्ध हों और कम से कम टकराव या कुण्ठा हो । इसके अलावाव माता-पिता द्वारा बच्चों की उपेक्षा न की जाती हो, सहोदर द्वन्द्व कम से कम हो, और यथार्थ से बचने का प्रयत्न न किया जाता हो ।

यद्यपि उपरोक्त विशेषताओं वाला परिवार मिलना असम्भव है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारे समाज में 'सामान्य परिवार' है ही नहीं । महत्त्वपूर्ण यह है कि ये विशेषताएँ किस मात्रा में उस परिवार में पाई जाती है और कितनी नहीं । भूतलक्षी आधार पर (retrospectively) कहा जा सकता है कि बाल अपराधियों एवं वयस्क अपराधियों के परिवारों के 1930, 1940, 1950, 1960 और 1970 के दशकों में अनेक प्रयोगात्मक अध्ययन किए गए थे । इनका उद्देश्य उन कारकों को निश्चित करना था जो अपराधी के पारिवारिक जीवन में अथवा परिवार - संस्कृति (Under-the-roof culture) में अपराधी क्रियाकलापों के लिए जिम्मेदार थे । नियंत्रण की कमी, अत्यधिक कठोर या नम्र अनुशासन, माता-पिता द्वारा उपेक्षा, शारीरिक दुराचार और भग्न परिवार (broken homes) जैसे कुछ काकरकों को चिन्हित कर के प्रतीत हुआ कि ये सब कारक लोक प्रचलित परन्तु बुद्धिमत्ता से पूर्ण विचार से मेल खाते हैं कि साधारण रुप से परिवार का प्रभाव और विशेष रुप से माँ-बाप के बच्चों को अनुशासित रखने में त्रुटिपूर्ण तरीके उत्तरवर्ती अपराधिता को प्रभावित करते हैं । बाद में यह भी देखा गया कि इन अध्ययनों में गम्भीर अवधारणा सम्बन्धी एवं पद्धतिशास्त्रीय कमियाँ थीं जिन्होंने उनकी वैधता को सीमित कर दिया । इस आलोचना के बावजूद इन अध्ययनों का विश्लेषण उचित है कि अपराधियों में भग्न परिवार, असुरक्षित परिवार, अनैतिक परिवार, आदि की क्या भूमिका है ।

भग्न परिवार (Broken Home):

टूटा परिवार वह है जिसमें माता-पिता में से एक मृत्यु, तलाक, परित्याग या कारावास के कारण अनुपस्थित हो । माता या पिता की अनुपस्थिति के परिणामस्वरुप स्नेह की कमी, नियंत्रण और देख-रेख की कमी, बुरी आदतों का विकास जैसे धूम्रपान, मद्यपान व जुआ, और कुंसगति, आदि होती है । बाल अपराध में टूटे पिरवार की भूमिका पर अनेक अध्ययन

किए गए है । 1939 और 1950 के मध्य में किये गये अध्यनों के वृहद निष्कर्ष यह है कि 30% से 60% अपराधी टूटे परिवारों के थे (Sutherland, 1965:176) । 1926 में अमेरीका में दो नगरों में 4000 बाल अपराधियों पर हीले और ब्रोनर (Healy & Bronner) द्वारा किया गया अध्ययन दर्शाता है कि लगभग 50% अपराधियों की पृष्ठभूमि टूटे परिवारों से थी । 1950 में सुधारात्मक संस्थाओं से 500 अपराधी लड़को और 500 अनपराधी लड़कों पर किये गये ग्लूक (Glueck) के अध्ययन से पता लगा कि अपराधी लड़को के माता-पिता ने अपने बच्चों को अनुशासित कने के लिए अनुपयुक्त विधियों, जैसे ढीला, अति कठोर, या त्रुटिपूर्ण तरीकों को अपनाया । वे अपने बच्चों के प्रति उदासीन या आक्रामक या शारीरिक दण्ड भी देते पाए गए । अपने बाद के अध्ययन (1962) में उन्होंने यह भी पाया कि आक्रामकता के बदले में बच्चों ने भी अपने माँ-बाप के प्रति उदासीन और आक्रमक रवैया अपना लिया ।

निर्धन परिवार (Poor Home):

निर्धन परिवार अपने सदस्यों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में समर्थ नहीं होता । यह न केवल सदस्य की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असफल होता है बल्कि जीवन के विभिन्न आपात क्षणों जैसे दुर्घटना, बीमारी, बेरोजगारी, आदि के समय सुरक्षा प्रदान करने में भी असफल रहता है । कभी-कभी निर्धनता अपराधी क्रियाओं को उत्पन्न करने में सीधे कार्य करती है । एक निर्धन व्यक्ति, जो अपनी बेटी के विवाह में दहेज देने में असमर्थ होता है गबन कर सकता है या रिश्वत ले सकता है या धोखा-घड़ी का सहारा ले सकता है । वह बच्चा जिसे जेब खर्च नहीं मिलता, अपने पिता के पर्स से धन चुरा सकता है । इसी प्रकार एक पिता अपने बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चोरी करके उनके लिए कपड़े, भोजन आदि की व्यवस्था कर सकता है । बहुधा निर्धनता परोक्ष रुप में भी कार्य करती है । गरीब परिवार का बच्चा चिन्ता, मां बाप के झगडे, हताश व चिड़चिड़ेपन से बचने के लिए घर से भाग सकता है और अपराधी गिरोह में शामिल हो सता है । स्टीफेन हरविज (Stephen Hurwitz 1952: 319-24) मानता है कि अपराधियों की एक बड़ी संख्या निर्धन आर्थिक स्थितियों से होती है और अपराधी परिवारों में निर्धनता की स्थिति सामान्य परिवारों से कहीं अधिक होती हैं ।

दोषपूर्ण अनुशासन (Defective Di scipline):

परिवार में दोषपूर्ण अनुशासन कई रुपों में देखा जा सकता है, जैसे, देख-रेख में कमी, अनैतिक परिवार, आदि । कमजोर देखरेख का अर्थ है माता-पिता द्वारा निर्देशन में कमी जो कि कई कारणों से हो सकती है, जैसे, बड़ा परिवार, घर से बाहर नौकरी आदि में माँ की व्यस्तता, इत्यादि । वयस्कों में परिवार विहीनता (homelessness) का अर्थ है जिसके माँ बाप न हों, सहोदर न हों, और व्यक्ति घर से दूर किराए के मकान या होस्टल में रहता हो । परिवार विहीनता से गतिशीलता अधिक होती है जो कि परिवार नियंत्रण से विमुखता का कारण बन जाती है । 1971 में एन्ड्री (Andry) का अध्ययन बताता है कि अपराधी बच्चों के पिता विशेष रुप से इसमें महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे कम स्नेह का प्रदर्शन करते है और सामान्य बच्चों के पिता की अपेक्षा बच्चों के साथ कम सम्पर्क रखते हैं ।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि यह सभी अध्ययन यथेष्ट मात्रा में आंकड़े प्रदान करते है यद्यपि अपराधी बच्चों के पारिवारिक जीवन के विषय में कुछ की वैधता संदिग्ध है ।

इन अध्ययनों ने अपराध में परिवार की भूमिका पर तीन विचार प्रस्तुत किए हैः (1) मनोविश्लेषणात्मक (psycho-analytic) व्याख्या, (2) व्यवहारात्मक (behaviourist) व्याख्या, और (3) संज्ञानात्मक (cognitive) व्याख्या । मनोविश्लेषणात्मक व्याख्या बच्चों के प्रारम्भिक विकास क्रम में आने वाली कठिनाइयों पर प्रकाश डालती है जो उन्हें 'बीमार' बनाती है और उनसे चोरी, यौन सम्बन्धी आघात आगजनी इत्यादि अपराध कराती है । अपरधा क्यों कि 'बीमारी' के कारण हुआ था इसलिए बच्चों को उस के लिए पूर्णतया उत्तरदायी नहीं ठहराया गया । इस धारणा का प्रभाव दण्ड और व्यवहार नीतियों पर पड़ा जिससे अपराधियों का मनोरोगीय (psychiatric) इलाज प्रारम्भ हुआ । 1950 और 1960 के दशकों मे दी गयी व्यवहारात्मक व्याख्या ने मनोविश्लेषणात्मक व्याख्या को कठोर परीक्षणात्मक कमी के कारण अस्वीकार कर दिया । इन (व्यवहारात्मक) धारणा में कहा गया कि लोगों के कार्य दण्ड और पुरस्कार की व्यवस्था से नियंत्रित होते है और अपराध या तो "सीखने के अनुपयुक्त अनुभवों" या "गलत सामाजिक सीखने की प्रक्रिया" (social mis-learning) के कारण घटित

होते हैं । इस प्रकार अपराधियों को 'बीमार' व्यक्ति न मानकर ऐसे व्यक्ति माना गया जो गलत-सीखने (mis-learning) से पीड़ित थे । 1960 और 1970 के दशको में व्यवहारात्मक व्याख्या की धारणा से संज्ञानात्मक व्याख्या की ओर परिवर्तन हुआ । इस के अनुसार व्यक्ति में अपराध करने का पूर्व स्वभाव भावात्मक की अपेक्षा संज्ञानात्कम होता हैं, अर्थात व्यक्ति के 'कृत्य' उसकी चेतना या नैतिक विकास से निर्देशित होते हैं जो कि 'सही' 'गलत' और 'अच्छा' 'बुरा' में भेद करने की उसकी योग्यता प्रदर्शित करते हैं ।

इन सभी व्याख्याओं में परिवार को ही कारण के मुख्य बिन्दु के रुप में चुना गया है । इसमें एक प्रश्न और है, समाज का वृहद प्रभाव क्या है ? निसंदेह परिवार एक प्रभावी संस्था है । यह भी स्मरणीय होना आवश्यक है कि कुछ समस्याएं, जो कि परिवार द्वारा उत्पन्न की गई प्रतीत होती हैं समाज में रहने के लिए एक संरचना के रुप में इसके (परिवार के) मूल प्रकृति का प्रकार्य हैं । यदि समाज कृयों का निर्धारण करता है तो यह व्यक्ति के कार्यों की रचना और उन पर अंकुश भी रखता है । सदस्यों पर परिवार का प्रभाव जटिल होता है और उसको साधारण रुप से 'कारण' सम्बन्धी व्याख्या से स्पष्ट नहीं किया जा सकता ।

संदर्भः

1. भारतीय समाज में कार्यशील महिलाएँ, डो. सुलोचना श्रीहरी देशपांडे, श्रुति पब्लिकेशन, जयपुर ।
2. महिलाओं के प्रति घरेलु हिंसा और कन्या भ्रूणहत्या, प्रकाश नारायण नाटाणी, बुक पब्लिकेशन, जयपुर ।
1. कन्या भ्रूणहत्या और महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, प्रकाश निारायण नाटाणी, बुक एनक्लेव, जयपुर ।
2. भारतीय समाज में कार्यशील महिलाएँ, डो. सुलोचना श्रीहरी देशपांडे, श्रुति पब्लिकेशन, जयपुर ।

3. महिलाओं के प्रति घरेलु हिंसा और कन्या भ्रूणहत्या, प्रकाश नारायण नाटाणी, बुक पब्लिकेशन, जयपुर ।

4. www.googlesearch voilensagentswomans

3. www.googlesearch working womans and devlopment